बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 360686 पटना, दिनांक- 16.03.2018

ग्रा0वि0-7(आं)-43/2013 (पार्ट-I)

प्रेषक,

सी0 पी0 खण्डूजा,
निदेशक (सामाजिक वानिकी) ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- मनरेगा अंतर्गत जिला परिषद् एवं पंचायत समिति से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि महात्मा गॉधी नरेगा अंतर्गत वंचित परिवारों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पतियां सृजन के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के साथ-साथ पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के माध्यम से योजनाऐं क्रियान्वित की जा सकती है ।

इस संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी महात्मा गॉधी दिशा-निर्देश, 2013 चौथा संस्करण के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए इसकी कंडिका 7.6.3 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जायेगा । किसी भी कार्य के लिए PIA का निर्धारण करने हेतु ग्राम पंचायत पहली पसंद होगी तथापि जिला परिषद्,पंचायत समिति तथा अन्य लाईन विभाग को भी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया जा सकता है । ग्राम पंचायत को छोड़कर अन्य कार्यान्वयन एजेंन्सियों का निर्धारण महात्मा गांधी दिशा- निर्देश, 2013 (चौथा संस्करण) की कंडिका 7.6.3 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी ।

जिला परिषद् तथा पंचायत समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिया जाता है :-

पंचायत समिति

1. पंचायत समिति के स्तर से कार्यान्वित होने वाले कार्यो की डाटा इंट्री नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध पंचायत समिति Login से किया जायेगा । कार्य की मॉग की इंट्री, कार्य आवंटन की इंट्री, ई-मस्टर रॉल पी0ओ0 Login से जारी किया जायेगा । ई-मस्टर रॉल भरने, Wage list, Material list एवं Send wage list for payment का कार्य पी0ओ0 Login अथवा पंचायत समिति Login से किया जाए ।

2. पंचायत समिति द्वारा कार्यान्वित होने वाले सभी कार्यो का भुगतान e-FMS के माध्यम से किया जायेगा तथा 1st signatory एवं 2nd signatory का निर्धारण विभागीय पत्रांक-265012 दिनांक-08.03.2016 अनुसार निम्न प्रकार से किया जायेगा :-

"प्रखण्ड स्तर पर लेखापाल (मनरेगा) एवं उनकी अनुपस्थिति / पद रिक्त होने पर प्रखण्ड लेखापाल (नाजिर) को मेकर (1st Signatory) तथा कार्यक्रम पदाधिकारी को चेकर (2nd signatory) एवं उनकी अनुपस्थिति / पद रिक्त होने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को चेकर (2nd signatory) नामित किया जाए ।

प्रखंड स्तर पर मेकर (1st Signatory) तथा चेकर (2nd signatory) के अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर, मेकर (1st Signatory) / चेकर (2nd signatory) का प्रभार सौंपे जाने के संबंध में संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।"

3. क्रियान्वयन निकाय के चयन में पंचायत समिति के माध्यम से उन कार्यो को प्राथमिकता दी जाय, जो ग्राम पंचायतों को जोड़ते हो अथवा जिनका विस्तार एक से अधिक पंचायतों में हों ।
4. पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वित होने वाले कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण मनरेगा के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जायेगा । वे जिन पंचायत क्षेत्रों के प्रभारी हैं उस पंचायत क्षेत्र की पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वित हो रही योजनाओं का तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे । पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वित होने वाले योजनाओं में पूर्व की भांति पंचायत तकनीकी सहायक की कोई भूमिका नहीं होगी ।
5. पंचायत समिति से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों यथा BCEO/BAO/BPRO/JSS अथवा पंचायत सचिव के माध्यम से कराया जा सकता है ।
6. पंचायत समिति द्वारा कार्यान्वित होने वाले सभी कार्यो का अभिलेख, रजिस्टर आदि प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जायेगा ।

जिला परिषद्

1. जिला परिषद् के माध्यम से कार्यान्वित होने वाले कार्यो की डाटा इंट्री नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध ZP Login से किया जायेगा । कार्य की मॉग की इंट्री, कार्य आवंटन की इंट्री, ई-मस्टर रॉल को संबंधित प्रखंड के पी0ओ0 Login से जारी किया जायेगा । ई-मस्टर रॉल भरने का कार्य ZP Login से किया जायेगा ।
2. वर्तमान में ZP Login में Wage list, Material list एवं Send wage list for payment का प्रावधान उपलब्ध नहीं है । जिला परिषद् द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का जिला परिषद् स्तर पर FTO Generate करने का प्रावधान उपलब्ध नहीं है । उक्त प्रावधान को लागू करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । मंत्रालय द्वारा उपरोक्त प्रावधान को लागू किये जाने के उपरांत जिलों को इस संबंध में सूचित किया जायेगा ।

3. क्रियान्वयन निकाय के रूप में चयन के क्रम में जिला परिषद् के माध्यम से उन कार्यो को प्राथमिकता दी जाय, जो प्रखंडों को जोड़ते हो अथवा जिनका विस्तार एक से अधिक प्रखंडों में हो ।
4. कतिपय जिला द्वारा मेकर (1st signatory) एवं चेकर (2nd signatory) के संबंध में दिये गये सुझाव के आलोक में जिला परिषद् स्तर पर मेकर (1st signatory) के रूप में Account Officer/Senior Account Officer/ZP Accountant को तथा चेकर (2nd signatory) के रूप में निदेशक, जि0ग्रा0वि0अभि0-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा नामित किया जा सकता है । इसके लिए ZP Login में आवश्यक प्रावधान हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध किया गया है और यह व्यवस्था हो जाने पर DPC admin login से जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशानुसार 1st एवं 2nd Signatory का Role Assign (कार्य निर्धारण) किया जा सकेगा ।
5. जिला परिषद् द्वारा कार्यान्वित होने वाले सभी कार्यो का अभिलेख, रजिस्टर आदि का संधारण जिला स्तर पर जिला परिषद् के कार्यालय में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. जिला परिषद् के माध्यम से कार्यान्वित होने वाले कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण जिला परिषद् में नियुक्त तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकता है ।
7. जिला परिषद् से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन जिला परिषद् के कर्मी एवं पदाधिकारी के माध्यम से कराया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत सहित विभिन्न निकायों के कार्ययोजनाओं की स्वीकृति देते समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जायेगा :-

(क) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले योजनाओं में पंचायत रोजगार सेवक की कोई भूमिका नहीं होगी ।

(ख) जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति में भुगतान हेतु ग्राम निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। ससमय भुगतान के उद्देश्य से मजदूरी एवं सामग्री मद का भुगतान मनरेगा अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में किया जाए । भुगतान उपरांत इसकी विवरणी ग्राम निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

(ग) ग्राम पंचायत स्तर पर लागत के हिसाब से कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों का कार्यान्वयन संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा ।

(घ) कार्यान्वित होने वाले सभी कार्यो के लिए सामग्री घटक की लागत, जिसके अंतर्गत कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक भी सम्मिलित है, यथासंभव कार्यान्वयन निकाय के स्तर पर कुल लागत के 40 प्रतिशत से अधिक न हो ताकि जिला स्तर पर सामग्री का अनुपात 40 प्रतिशत के अंदर रखा जा सके ।

(ङ) किसी एक प्रखंड अंतर्गत लागत के रूप में कृषि एवं तत्संबंधी कार्यों में व्यय का प्रतिशत कम से कम 60 प्रतिशत होगी ।

(च) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या- 328228 दिनांक- 14.09.2017 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत विलम्ब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली 2017 निर्गत किया गया है । इस नियमावली के तहत मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूरी का ससमय भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मस्टर रॉल बंद होने की तिथि के बाद मजदूरी भुगतान के क्रम में विभिन्न गतिविधियों के लिए समय सीमा का निर्धारण एवं तदनुसार संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों की जबावदेही का निर्धारण किया गया है । जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली योजनाओं में नियमावली में निर्धारित गतिविधि हेतु अनुमत दिवस अनुसार जबावदेह पदाधिकारी / कर्मी पर भी यह नियमवली लागू होगी तथा मजदूरों को विलम्ब क्षतिपूर्ति भुगतान की स्थिति में भुगतेय राशि की वसूली संबंधित दोषी पदाधिकारी / कर्मी से वसूल की जाएगी ।

अतः तदनुसार जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के माध्यम से मनरेगा का कार्य करवाने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जाये

विश्वासभाजन,

16/03

(सी0 पी0 खण्डूजा)
निदेशक (सामाजिक वानिकी)